N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

# FIRST INFORMATION REPORT
## Under Section 173 B.N.S.S.

## (प्रथम सूचना रिपोर्ट)
## अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0172 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/07/2025 15:07 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/07/2025 **Date To (दिनांक तक):** 02/07/2025

   **Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 11:30 बजे **Time To (समय तक):** 12:45 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/07/2025 **Time (समय):** 11:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/07/2025 15:07:26 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 02 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** KARYALYA NAGAR PARISHAD, NAGAUR,JILA NAGAUR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   **Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): RAMGOPAL

(b) Father's Name (पिता का नाम): BANSHILAL

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1967 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | JAHARWADI MOHALLA,NAGAUR, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | JAHARWADI MOHALLA,NAGAUR, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA |

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAUSHAL KUMAR | | पिता:NARENDRA KUMAR | 1. WARD NO.06,KHIJUR WALE BALAJI KE PASS JAUTUSAR,RINGAS,SIKAR,RAJASTHAN,INDIA |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 4,00,000.00 |

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ): 4,00,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (नागौर) राज. विषय - नगर परिषद नागौर के सहायक नगर नियोजक कौशल कुमावत को रिवत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ाने बाबत। महोदया - उपरोक्त विषय अन्तर्गत निवेदन है की मै रामगोपाल बंग S/o बंशीलाल जाती (माहेश्वरी) उम्र 60 वर्ष निवासी जहरवाडी मौहल्ला नागौर का निवासी हु मेरे भतीजे गिरीराज लाहोटी जो कि नागौर के अन्दर अपना वेयर हाउस व कोल्ड स्टोरेज लगाने पर तकनीकी रिपोर्ट के लिये मैने (A.T.P.) कौशल कुमावत से मिला तब कौशल कुमावत ने रिपोर्ट करने की ऐवज में मेरे से पांच लाख रूपये रिश्वत कि मांग की है। मैं मेरे वाजिब काम के रूप में रिश्वत देना नहीं चाहता हूं। कौशल कुमावत को रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। मेरा कौशल कुमावत ATP से कोई उधार लेन देन नहीं है। तथा ना हि कोई रंजीश है। में उक्त कारवाई मेरे भतीजे गिरीराज की सहमती से करवा रहा हूं। कृपया कानुनी कारवाई करें दिनांक 01/07/2025 प्रार्थी एसडी रामगोपाल, रामगोपाल बंग S/o बंशीलाल, निवासी (जहरवाड़ी) (नागौर)मो. [redacted] अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। एसडी कल्पना सोलंकी 01.07.2025 कार्यवाही पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर निवेदन है कि दिनांक 01.07.2025 को वक्त 11.30 ए.एम. परिवादी श्री रामगोपाल पुत्र श्री बंशीलाल, जाति माहेष्वरी, उम्र 58 वर्ष, निवासी जहरवाड़ी मोहल्ला, नागौर उपस्थित कार्यालय आया व एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्पना सोलंकी को इस आशय का प्रस्तुत किया कि "मैं रामगोपाल पुत्र श्री बंषीलाल, जाति माहेष्वरी, उम्र 58 वर्ष, निवासी जहरवाड़ी मोहल्ला, नागौर का रहने वाला हूं मेरे भतीजे गिरीराज लाहोटी जो कि नागौर के अन्द अपना वेयर हाउस व कोल्ड स्टोरेज लगाने पर तकनीकी रिपोर्ट के लिये मैने (ATP) कौशल कुमावत से मिला तब कौशल कुमावत ने रिपोर्ट करने की ऐवज में मेरे से पांच लाख रूपये रिश्वत कि मांग की है। मैं मेरे वाजिब काम के रूप में रिश्वत देना नहीं चाहता हूं। कौशल कुमावत को रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। मेरा कौशल कुमावत ATP से कोई उधार लेन देन नहीं है। तथा ना हि कोई रंजीश है। में उक्त कारवाई मेरे भतीजे गिरीराज की सहमती से करवा रहा हूं। कृपया कानुनी कारवाई करें" चुंकि परिवादी रामगोपाल के साथ सह-परिवादी श्री गिरीराज भी उपस्थित है, श्री गिरीराज से उक्त प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि मेरे पास अन्य कार्य की अधिकता होने से मैने मेरे कागजी कार्यो हेतु मेरे चाचा श्री रामगोपाल को पॉवर ऑफ अर्टोनी दे रखी है तथा उक्त कार्यवाही मेरे चाचा रामगोपाल मेरी सहमति से ही करवा रहे है, पॉवर ऑफ अर्टोनी की फोटोप्रति आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। जिस पर परिवादी की उक्त रिपोर्ट पर सह-परिवादी श्री गिरीराज के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी रामगोपाल से मजीद पूछताछ की गई तो परिवादी ने अवगत करवाया कि मेरे भतीजे श्री गिरीराज के वेयर हाउस व कॉल्ड स्टोरेज निर्माण में तकनीकी रिपोर्ट बनवाने हेतु ई-मित्र मे ऑनलाईन आवेदन किया हुआ है, जो कि नगर परिषद में लम्बित है तथा बार-बार आवेदन पर ऐतराज अंकित कर आई.डी. पर पुनः भिजवाकर परेशन किया जा रहा है, जिसके सम्बन्ध में मैं नगर परिषद नागौर के सहायक नगर नियोजक श्री कौशल कुमार से मिला तो उसने कैलकुलेटर पर टंकित कर 5 लाख रूपये रिश्वत की मांग की है, रिश्वत नहीं देने पर मेरा काम करने की मनाही की है। परिवादी ने यह भी बताया कि श्री कौशल कुमार कभी भी बोलकर किसी से रिश्वत प्राप्त नहीं करता है, वो कैलकुलेटर या मोबाईल में टंकण कर रिश्वत की राशि सामने वाले को बताता है। परिवादी की उक्त लिखित रिपोर्ट तथा मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से पूर्व में स्थानीय बाजार से क्रयशुदा 2 हिडन कैमरे वीडियो ऑडियो डिवाईस मय नये मैमोरी कार्ड कार्यालय मे इश्यू करवाकर परिवादी श्री रामगोपाल को दोनो हिडन कैमरा वीडियो ऑडियो डिवाईस ऑपरेट करने की समझाईस की गई तथा उसे समझाया की वह श्री कौशल कुमार, सहायक नगर नियोजक के पास जाकर अपने कार्य के संबंध में व रिश्वती लेन देन के सम्बन्ध में वार्ता करें तथा कार्यालय के श्री मोहनराम हैड कानि. नम्बर 64 को तलब कर परिवादी से परिचय करवाते हुए रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के साथ जाने की हिदायत कर रवाना किया गया। सह-परिवादी श्री गिरीराज को रूख्सत किया गया। वक्त 01.30 पी.एम. पर श्री मोहनराम हैड कानि. नम्बर 64, परिवादी श्री रामगोपाल के उपस्थित कार्यालय आया तथा दोनो हिडन कैमरे (वीडियो ऑडियो डिवाईस) मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये। परिवादी ने बताया कि एसीबी चौकी नागौर से हम स्कूटी पर रवाना होकर कार्यालय नगर परिषद नागौर के समीप पहुंच, जहां पर श्री मोहनराम हैड कानि. ने दोनो हिडन कैमरे चालू कर मुझे सुपूर्द किये, जिस पर मैं श्री कौशल कुमार से मिलने

नगर परिषद नागौर के अन्दर परिसर में पहूंच, आरोपी कौशल कुमार के कक्ष में गया तो आरोपी उपस्थित नहीं मिला। जिस पर मैं वहां खड़ा रहकर आरोपी के आने का इन्तजार करता रहा। करीब 15 मिनट पष्चात आरोपी किसी दुसरे कक्ष से नगर परिषद के परिसर में आया। इसके पष्चात मैं आरोपी के साथ उसके कक्ष में गया व मेरे काम के सम्बन्ध में बातचीत की तो आरोपी ने ईशारे में बात करने हेतु कहा बोलने हेतु मनाही की। इसके पष्चात आरोपी ने मुझे कैलकुलेटर में 5 लाख रूपये टंकण कर कैलकुलेटर मेरे सामने किया, काफी मोल भाव के बाद कैलकुलेटर पर टंकण कर 4 लाख रूपये रिश्वत राशि लेना तय कर कल ई-मित्र संचालक धर्माराम को देने हेतु कहा तो मैने मनाही करते हुए कहा कि मैं आपको कल कॉल कर लूंगा, आप ई-मित्र संचालक धर्माराम को नहीं दिलवाकर किसी दुसरे को दिलवा देना, ताकि मेरे आगे के कार्य में जयसिंह तक इतनी बड़ी रकम की बात नहीं पहूंचे, यदि जयसिंह को इसकी जानकारी हो गई तो जयसिंह मेरे से बड़ी रकम की मांग करेगा। आपको दूसरों को एक लाख रूपये ही बताना है। जिस पर आरोपी ने कहा कि मैं बोल दूंगा कि मेरे पास किसी प्रेशर वाला फोन आ गया था तो मैने ऐसे ही साईन कर दिये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो हिडन कैमरों से मैमोरी कार्ड निकालकर बारी-बारी कार्यालय कम्प्यूटर पर ऑपरेट कर देखा गया तो रिकॉर्ड वार्ता में मामला रिश्वत राशि मांग का पाया गया। जिस पर परिवादी को 4,00,000/-रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था बाबत् पुछा गया तो परिवादी ने बताया कि इतने रूपये होना संभव नहीं है, मैं 20,000/-रूपये की व्यवस्था है, शेष राशि मैं बच्चों के मनोरंजन बैंक वाले नोट प्रस्तुत कर दूंगा, वैसे भी आरोपी रिश्वत राशि गिनेगा नहीं, रिश्वत राशि सीधा बण्डल के रूप में ही प्राप्त करता है। जिस पर परिवादी को उपरोक्तानुसार कुल 4,00,000/-रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दिनांक 02.07.2025 को उपस्थित चौकी आने की हिदायत कर रूख्सत किया गया। दिनांक 03.07.2025 को वक्त 10.30 ए.एम. पर परिवादी श्री रामगोपाल मय सह-परिवादी श्री गिरीराज के पूर्व निर्देशानुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4,00,000/-रूपये की व्यवस्था कर उपस्थित चौकी आये। परिवादी श्री रामगोपाल ने बताया कि आज मेरा भतीजा गिरीराज आरोपी से मिलने के दौरान किसी हस्ताक्षर वगैरा की आवश्यकता हो जाये इसलिए मेरे साथ चलेगा, जिस पर सह-परिवादी को साथ ले जाने की अनुमति प्रदान कर सह-परिवादी गिरीराज को कार्यालय कक्ष में बैठकर इन्तजार करने को कहा गया एवं अग्रिम ट्रेप कार्यवाही शुरू की गई। तत्पश्चात श्री नेमीचन्द कानि. नम्बर 405 को दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु सहायक अभियन्ता (ग्रामीण), अजमेर विध्युत वितरण निगम लिमिटेड, नागौर के नाम तहरीर देकर कार्यालय सहायक अभियन्ता (ग्रामीण), अजमेर विध्युत वितरण निगम लिमिटेड, नागौर को रवाना किया गया। वक्त 11.15 ए.एम.पर श्री नेमीचन्द कानि0 नं0 405 मय दो स्वतन्त्र गवाहान श्री गोपालदान पुत्र श्री शंकरदान चारण, जाति चारण, उम्र 43 वर्ष, निवासी संजय कॉलोनी नागौर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय सहायक अभियंता, ए.वी.वी.एन.एल.(ग्रामीण) नागौर व श्री विपिन कुलदीप पुत्र श्री प्रकाशचन्द कुलदीप, जाति रेगर, उम्र 32 वर्ष, निवासी बड़ली नागौर हाल वाणिज्यिक सहायक प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता, ए.वी.वी.एन.एल.(ग्रामीण) नागौर के उपस्थित कार्यालय आये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान से परिचय किया जाकर परिवादी से परिचय करवाते हुए परिवादी द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत करवाते हुए परिवादी श्री रामगोपाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट गवाहान श्री गोपालदान व श्री विपिन कुलदीप को पढकर सुनाई गई तथा रिश्वत मांग सत्यापन के वीडियो कार्यालय कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मुख्य-मुख्य अंश दिखाये गये। जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने सन्तुष्ट होकर स्वतन्त्र गवाह बनने की सहमति प्रदान की, जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही शुरू की गई। वक्त 12.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रामगोपाल को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के निर्देश दिये गये तो परिवादी ने गवाहान के समक्ष निवेदन किया कि मेरे से 20,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा की व्यवस्था हुई है शेष 3,80,000/- रूपये बच्चो के खेलने वाले रूपये की व्यवस्था कर लाया हूं। परिवादी ने 500-500 रूपये के 40 नोट भारतीय मुद्रा के पेश किये तथा 500-500 रूपये के कुल 760 नोटों की गड्डीयां (बच्चों के खेलने के नोट) पेश किये। परिवादी द्वारा पेश किये गये कुल 760 नोट बच्चों के खेलने के नोट पेश किये है, जिनको देखने पर उक्त सभी नोट भारतीय मुद्रा के असली नोट के लगभग समान दिखाई देते है परन्तु उक्त नोटो पर भारतीय मनोरंजन बैंक अंकित है। भारतीय मनोरंजन बैंक के उक्त नोटो पर कोई सीरियल नम्बर नहीं होकर सभी मनोरंजन बैंक के सभी नोटो पर FULL OF FUN अंकित है। मनोरंजन बैंक के उक्त 500-500 के नोट के प्रथम व अंतिम नोट पर पहचान के लिए गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भी हस्ताक्षर किये। परिवादी द्वारा पेश किये गये 500-500 रूपये के 40 नोट कुल राशि 20,000/- रूपये जो भारतीय चलन मुद्रा के रूप में है, जिनके सीरियल नम्बर 6GR 056639 मे 6GR 056678 तक है। तत्पश्चात् श्री बालाराम कानि. नम्बर 554 से कार्यालय की अलमारी में से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाया जाकर कार्यालय कक्ष में स्थित टेबल के उपर अखबार पर रखकर उपरोक्त भारतीय चलन मुद्रा के 40 नोटो पर एवं मनोरंजन बैंक के 760 नोटों की उक्त गड्डीयों के प्रथम व अंतिम नोट पर दोनों ओर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर उक्त मनोरंजन बैंक की 760 नोटों की गड्डीयों के उपर-नीचे 500-500 रूपये के भारतीय चलन मुद्रा के कुल 40 नोट लगाकर कुल 4,00,000/-रूपये को एक प्लास्टिक की पारदर्शी थैली में रखकर बंडल बनाया जाकर बंडल के उपर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री रामगोपाल की जामा तलाशी गवाह श्री गोपालदान से लिवाई गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे भारतीय

मुद्रा के 500-500 के नोटों एवं बच्चों के मनोरंजन बैंक की गड्डीयों के बण्डल को कपड़े की दूसरी थैली में श्री बालाराम कानि. से डलवाकर परिवादी को सुपूर्द किये गये। परिवादी को हिदायत की गई इन नोटों को तब तक नहीं छुए जब तक आरोपी रिश्वत की मांग नही करें तथा उसके द्वारा रिश्वत मांगने पर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त बण्डल कपड़े की थैली से निकालकर आरोपी को देवे तथा अपने कार्य से सम्बन्धित वार्ता करें। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर ट्रेप दल के सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करें तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मिस कॉल भी करें। यह भी ध्यान रखे कि आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद कहां रखता है या छुपाता है। दोनों गवाहों को भी निर्देश दिए गये कि यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती लेन-देन व इनके बीच होने वाली वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी रंगहीन रहा। गिलास के इस रंगहीन घोल में श्री बालाराम कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुंलाबी हो गया। इस प्रकार दोनों गवाहों व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया का महत्व दृष्टान्त देकर समझाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा पुनः श्री बालाराम कानि. से कार्यालय की अलमारी में रखवाकर गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया तथा अखबार जिस पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया है व डिस्पोजल गिलास को जलवाया जाकर श्री बालाराम कानि. के हाथों को साबुन व पानी से साफ धुलवाये गये। समस्त ट्रेप दल सदस्यों के हाथ साफ धुलवाकर आवश्यक निर्देश दिए गये तथा ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों को साफ धुलवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाए गये। परिवादी श्री रामगोपाल को वक्त रिश्वत लेन-देन होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये कार्यालय का एक हिड़न कैमरा वीडियो ऑडियो डिवाईस मय मैमोरी कार्ड व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को ऑपरेट करने की विधि समझाकर सुपुर्द किया गया तथा श्री बालाराम कानि. को कार्यालय में ही रहने की हिदायत दी गई। वक्त 12.20 पी.एम परिवादी श्री रामगोपाल को एक हिडन कैमरा वीडियो रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सह-परिवादी श्री गिरीराज के साथ रवाना कर श्री मोहनराम हैड कानि. नम्बर 64 व श्री भगवानसिंह कनिष्ठ सहायक को उनके साथ मोटरसाईकलों से रवाना कर उनके पीछे श्री सुरेन्द्रसिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री नेमीचन्द कानि. 405, श्री कानाराम कानि., स्वतंत्र गवाह श्री गोपालदान को जरिये प्राईवेट वाहन चालक श्री सुरेन्द्रसिंह के रवाना कर पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कल्पना सोलंकी मय स्वतंत्र गवाह श्री विपिन कुलदीप, श्री मुकेश कुमार हैड कानि. व श्री प्रेमाराम कानि नम्बर 218 के जरिये प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स व लेपटॉप-प्रिन्टर के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय नगर परिषद, नागौर को रवाना हुई। श्री बालाराम कानि. नम्बर 554 को कार्यालय में छोड़ा गया। कुछ समय पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्पना सोलंकी मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप दल के सदस्यों के जरिये प्राईवेट वाहनों मय ट्रेप बॉक्स व लेपटॉप-प्रिन्टर के फिगरा उपरोक्त के रवाना सुदा नगर परिषद, नागौर के समीप पहुंच वाहनों को एक साईड खड़ा कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान ट्रेप दल के सदस्य अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए मुकिम होकर परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। वक्त 12.45 पी.एम. पर परिवादी श्री रामगोपाल ने नगर परिषद्, नागौर कार्यालय परिसर में स्थित आरोपी के कक्ष से ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस्ड कॉल कर रिश्वत स्वीकृति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप दल के सदस्यों को साथ लेकर परिवादी के पास नगर परिषद्, नागौर के परिसर में पहूंच आरोपी के कक्ष के अन्दर पहूंच परिवादी से वीडीयो रिकॉर्डर व वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ किया, इस पर परिवादी श्री रामगोपाल ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं मेरे भतीजे गिरीराज के साथ श्री कौशल कुमार, सहायक नगर नियोजक से नगर परिषद कार्यालय परिसर स्थित इनके कक्ष में मिला और मेरे काम के सम्बन्ध में बातचीत की तथा श्री कौशल कुमार द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर मैंने रिश्वत राशि 4,00,000/-रूपये का बंडल कपड़े की थैली से निकालकर श्री कौशल कुमार को दी, जिस पर कौशल कुमार ने रिश्वत राशि 4,00,000/-रूपये का बंडल उठाकर अपनी टेबल की दराज में रख लिया। उसके बाद मैने आपके मोबाईल नम्बर पर पूर्व निर्धारित ईशारा मिस्ड कॉल कर रिश्वत लेने का ईशारा कर दिया। परिवादी ने अपने सामने बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही व्यक्ति कौशल कुमार, सहायक नगर नियोजक है, जिसने मेरे से अभी-अभी 4,00,000/-रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी टेबल की दराज में रखे है। जिस पर परिवादी के पास बैठे व्यक्ति को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए, उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री कौशल कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार, उम्र 32 वर्ष, जाति कुमावत निवासी वार्ड नम्बर 06, खिजुर वाले बालाजी के पास जैतुसर, रिंगस, जिला सीकर हाल सहायक नगर नियोजक (ATP), नगर परिषद, नागौर होना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी कौशल कुमार सहायक नगर नियोजक को परिवादी श्री रामगोपाल से रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पूछा गया तो आरोपी कौशल कुमार ने बताया कि मैने श्री रामगोपाल से कोई रिश्वत राशि नहीं ली है तथा लगातार बेबुनियाद मनगढंत बाते बताता रहा। जिस पर परिवादी रामगोपाल ने स्वतः ही बताया कि मैं कल दिनांक 01.07.2025 को मेरे भतीजे गिरीराज के वेयर हाउस व कॉल्ड स्टोरेज के प्लान में तकनीकी रिपोर्ट बनवाने बाबत् मिला तो सकारात्मक तकनीकी रिपोर्ट बनाने की एवज में कौशल कुमार द्वारा 5,00,000/-रूपये रिश्वत की मांग कर 4,00,000/-

रूपये रिश्वत लेना तय किया, जो आज इनके कहेनुसार मैं मेरे भतीजे गिरीराज के साथ पहूंच अभी-अभी इनको दिये है, इन्होने रूपयों का बण्डल अपने हाथ से पकड़कर टेबल की दराज में रखा है, इसके बाद मैने आपको मिस्ड कॉल कर रिश्वत स्वीकृती का ईशारा किया था। रिश्वत लेने की ताईद होने पर मेरे निर्देश पर स्वतंत्र गवाह श्री विपिन कुलदीप ने दराज को खोला तो उसके अन्दर रिश्वती राशि का बण्डल पाया गया, जिसे टेबल पर रखवाया गया। इसके पश्चात गाड़ी से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार घोल तैयार किया गया। मेरे निर्देश पर कानि0 श्री मुकेश कुमार हैड कानि. व श्री नेमीचन्द कानि. द्वारा एक गिलास के उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री कौशल कुमार के दाहिनें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः RH -1 व RH -2 अंकित किया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री कौशल कुमार के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया। जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः LH -1 व LH -2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। टेबल पर रखे रिश्वती राशि के बण्डल को स्वतंत्र गवाहान श्री गोपालदान व श्री विपिन कुलदीप से खुलवाया जाकर गिनवाया गया तो भारतीय मनोरंजन बैंक के 500-500 के कुल 760 नोट कुल 3,80,000/- होना बताया, जिनके प्रथम व अंतिम नोट पर गवाहान, परिवादी व मन् अधोहस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होना पाये गये तथा भारतीय चलन मुद्रा 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000/-रूपये होना बताया तथा दोनो गवाहो से भारतीय चलन मुद्रा रिश्वती राशि के नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में मुर्तिबा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट से करवाया गया तो वही नोट हुबहू होना पाये गये। बरामद भारतीय चलन मुद्रा के रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 40 नोटों का विवरण सीरियल नम्बर 6 GR 056639 से 6 GR 056678 तक है। उपरोक्त भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 40 नोटों (20,000/- रूपये) एवं भारतीय मनोरंजन बैंक के 500-500 रूपये के 760 नोटो (3,80,000/-रूपये)को कागज की चिट से पृथक-पृथक सिल्ड चिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि कब्जा एसीबी ली गई। चुंकि रिश्वती राशि का बण्डल एक प्लास्टिक की थैली में बांधा जाकर कपड़े की थैली में डाला हुआ था, जिनका धोवन भी लिया जाना आवश्यक होने से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार घोल तैयार किया गया। गिलास के उक्त रंगहीन घोल में प्लास्टिक व कपड़े की थैली को उलटकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः P-1 व P-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा प्लास्टिक व कपड़े की थैली को सुखाकर कपड़े की थैली में डालकर सील चिट कर मार्क च् अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। (नोट - नगर परिषद परिसर नागौर में आमजनों की आवाजाही अधिक होने एवं मौके पर भीड़भाड़ ज्यादा होने से आरोपी को सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही हेतु मय ट्रेप दल मय परिवादी मय आरोपी के ए.सी.बी. चौकी नागौर लेकर पहूंची। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही ब्यूरो कार्यालय नागौर में शुरू की गई।) ब्यूरो चौकी नागौर पहूंच आरोपी कौशल कुमार सहायक नगर नियोजक को परिवादी श्री रामगोपाल मे रिश्वती राशि लेने के सम्बन्ध में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने तसल्ली पूर्वक पूछताछ की तो बताया कि " मेरे से गलती तो हो गई है, मैने रिश्वत राशि लेकर टेबल की दराज में रखी थी जो आपने बरामद भी कर ली है, अब मेरे बचाव का कोई रास्ता निकालो।" रिश्वती राशि की बरामदगी हो चुकी है तथा आरोपी कौशल द्वारा लेने की ताईद भी हो चुकी है, जिस पर आरोपी कौशल कुमार से परिवादी श्री रामगोपाल के भतीजे श्री गिरीराज के लम्बित कार्य से सम्बन्धित कागजात के बारे में पूछा गया तो आरोपी कौशल कुमार ने बताया कि परिवादी श्री रामगोपाल के भतीजे श्री गिरीराज के नाम मे ऑनलाईन Building Plan Approval System पर आवेदन किया हुआ है, आवेदक की फाईल किस स्तर पर लम्बित है, पोर्टल से कागजात निकालने पर ही पता चलेगा, जिस पर श्री बालाराम कानि. नम्बर 554 को तहरीर देकर कार्यालय नगर परिषद् नागौर भेजकर नगर परिषद आयुक्त से आवेदक के आवेदन पत्र एवं उस पर हुई कार्यवाही से सम्बन्धित फाईल नम्बर NPDNAG/2024-25/BPAS/786 से सम्बन्धित दस्तावेजात ऑनलाईन निकलवाये जाकर मंगवाये गये, जिस पर बाद अवलोकन सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी को पूर्व में दिये गये हिडन कैमरा वीडियो ऑडियो डिवाईस डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में वक्त रिश्वत लेन-देन परिवादी रामगोपाल व आरोपी कौशल कुमार के मध्य रूबरू हुई रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो रिश्वत लेन-देन की पुष्टि होना पाया गया। जिसकी फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की जावेगी। इस प्रकार आरोपी श्री कौशल कुमार, सहायक नगर नियोजक, नगर परिषद्, नागौर द्वारा परिवादी श्री रामगोपाल के भतीजे श्री गिरीराज के आवेदन क्रमांक NPDNAG/2024-25/BPAS/786 से सम्बन्धित तकनीकी रिपोर्ट सकारात्मक बनाने की एवज में अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 5,00,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 4,00,000 रिश्वत राशि पर लेना तय कर, मांग के अनुसरण में आज दिनांक 02.07.2025 को रिश्वत राशि 4,00,000/- रूपये कार्यालय नगर परिषद् परिसर नागौर स्थित अपने कक्ष में ग्रहण करने व रिश्वत राशि आरोपी की टेबल की दराज से बरामद होने पर आरोपी श्री कौशल कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार, उम्र 32 वर्ष, जाति कुमावत निवासी वार्ड नम्बर 06,

खिजुर वाले बालाजी के पास जैतुसर, रिंगस, जिला सीकर हाल सहायक नगर नियोजक (ATP), नगर परिषद, नागौर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाने से आरोपी श्री कौशल कुमार, सहायक नगर नियोजक को जुर्म से आगाह कर अपने संवैधानिक अधिकारो से अवगत करवाते हुए वक्त 03.15 पी.एम. पर जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता मय परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान जरीये सरकारी वाहन मय चालक के वास्ते घटनास्थल निरीक्षण बाबत् नगर परिषद, नागौर परिसर में स्थित आरोपी के कक्ष के पास पहुंच परिवादी व उपस्थित स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी की निशांदेही से घटना स्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल अलग से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। बाद घटनास्थल निरीक्षण मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के रवाना होकर ब्यूरो चौकी, नागौर पहुंची। तत्पश्चात कार्यवाही में अब तक तैयार की गई समस्त फर्दात एवं जब्तशुदा आर्टीकल्स पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर की जिस पीतल की मोहर का प्रयोग किया गया, उक्त सील की फर्द नमूना मील मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 07.40 पी.एम. पर एक हिडन कैमरा वीडियो ऑडियो डिवाईस में लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज दिनांक 01.07.2025 को आरोपी कौशल कुमार व परिवादी श्री रामगोपाल के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष सुन-सुनकर कार्यालय कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई। दोनो हिडन कैमरा वीडियो ऑडियो डिवाईस को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मैमोरी कार्ड में दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की समस्त वीडियो क्लिप के तीन पैन ड्राईव पृथक-पृथक बनवाये गये। दोनो हिडन कैमरा वीडियो ऑडियो डिवाईस मूल मैमोरी कार्ड की पृथक-पृथक हैज वैल्यू निकालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद दोनो हिडन कैमरा वीडियो ऑडियो डिवाईस मूल मैमोरी निकालकर कपड़े की थैली में डालकर सिल्ड कर एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, वार्ता के दो पैन ड्राईव अलग-अलग कपड़े की थैलियों में डालकर पृथक-पृथक सिल्ड कर न्यायालय व आरोपी हेतु तथा एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु कागज के लिफाफे में डालकर सभी पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. पैन ड्राईव शामिल पत्रावली किया गया। वक्त 10.30 पी.एम. पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज परिवादी व आरोपी के मध्य दिनांक 02.07.2025 को वक्त रिश्वत लेन-देन हुई वार्ता को स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व सह-परिवादी के समक्ष सुन-सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई। तत्पश्चात हिडन कैमरा वीडियो ऑडियो डिवाईस को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मैमोरी कार्ड में दर्ज रिश्वत मांग लेन-देन वार्ता की समस्त वीडियो क्लिप एवं डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज वीडियो क्लिप के तीन पैन ड्राईव पृथक-पृथक बनवाये गये। रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता के मूल दोनो मैमोरी कार्ड की हैज वैल्यू निकालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद डिजिटल टेपरिकॉर्डर व हिडन कैमरा वीडियो ऑडियो डिवाईस से मूल मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर सिल्ड कर एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, रिश्वत लेन-देन वार्ता के दोनों पैन ड्राईव अलग-अलग कपड़े की थैलियों में डालकर पृथक-पृथक सिल्ड कर न्यायालय व आरोपी हेतु तथा एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु कागज के लिफाफे में डालकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. पैन ड्राईव शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 03.07.2025 को वक्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही में बरामद रिश्वत राशि कागज की चिट में पृथक-पृथक शील्ड सुदा 20,000/- रुपये भारतीय चलन मुद्रा के तथा 3,80,000/-रूपये भारतीय मनोरंजन बैंक, सिल्ड शुदा धोवन की शिशियां मार्क RH -1, RH -2, LH -1, LH -2 तथा P P-1, P-2, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के दो अलग-अलग कपड़े की थैलियों में सील्ड सुदा मूल मैमोरी कार्ड एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के दो-दो पृथक-पृथक सील्ड सुदा पैन ड्राईव न्यायालय व आरोपी श्री कौशल कुमार हेतु मालखाना प्रभारी श्री मोहनराम हैड कानि0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। वक्त 12.40 ए.एम. पर परिवादी श्री रामगोपाल, सह-परिवादी श्री गिरीराज तथा स्वतंत्र गवाहान श्री गोपालदान व श्री विपिन कुलदीप को बाद ट्रेप कार्यवाही आवश्यक हिदायत कर रुखसत किया गया। आरोपी कौशल कुमार का स्वास्थय परीक्षण करवाया जाकर परीक्षण रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही का समय-समय पर रनिंग नोट पृथक से तैयार किया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री कौशल कुमार, सहायक नगर नियोजक, नगर परिषद्, नागौर द्वारा परिवादी श्री रामगोपाल के भतीजे श्री गिरीराज के आवेदन क्रमांक NPDNAG/2024-25/BPAS/786 से सम्बन्धित तकनीकी रिपोर्ट सकारात्मक बनाने की एवज में अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 5,00,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 4,00,000 रिश्वत राशि पर लेना तय कर, मांग के अनुसरण में आज दिनांक 02.07.2025 को रिश्वत राशि 4,00,000/- रूपये कार्यालय नगर परिषद् परिसर नागौर स्थित अपने कक्ष में ग्रहण करने व रिश्वत राशि आरोपी की टेबल की दराज से बरामद होने पर आरोपी श्री कौशल कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार, उम्र 32 वर्ष, जाति कुमावत निवासी वार्ड नम्बर 06, खिजुर वाले बालाजी के पास जैतुसर, रिंगस, जिला सीकर हाल सहायक नगर नियोजक (ATP), नगर परिषद, नागौर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धारा में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना

नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्र.नि.ब्यूरो राज. जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीया, (कल्पना सोलंकी) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर......................कार्यवाही पुलिस................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती कल्पना सोलंकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री कौशल कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार, उम्र 32 वर्ष, जाति कुमावत निवासी वार्ड नम्बर 06, खिजुर वाले बालाजी के पास जैतुसर, रिंगस, जिला सीकर हाल सहायक नगर नियोजक (ATP), नगर परिषद, नागौर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री तेजाराम, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 60 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 984-87 दिनांक 04.07.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर क्रम संख्या-1,जोधपुर, 2- निदेशक स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नागौर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** TEJA RAM **Rank (पद):** निरीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 04/07/2025 15:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** DR PYARE LAL SHIVRAN

**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)

**No(सं.):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1993 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)